Dt 12-6-2020

पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित।
आज साहब संक्रमण के सुरक्षा संबंधी सरकारी कार्य में व्यस्त है।
अतः पत्रावली इलतवा होकर दिनांक 27-7-2020 को पेश हो।

राज्य सरकार के आदेशानुसार कोरोना वायरस

न्यायालय सहायक कलक्टर सिरोही
रा.वाद अ.धारा 53 RTA
बीच वाद बीराराम
प्र.क्र. 33/2017

दिनांक 27-7-2020

यह पत्रावली कोरोना वायरस कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण दिनांक 12-6-2020 के आदेश अनुसार पेश हुई। वकील उभय पक्षकारान तथा वकील वादीगण विद्यारावीन वाद प्रकरण को Not Press करने हेतु समय चाहते है। न्यायहित में समय दिया जाता है। पत्रावली Dt 7-8-2020 को पेश हो।

Not press
हेतु समय चाहता है।
27/7/20

Dt 7-8-2020

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी तथा वादी बीराराम तथा वादी बीराराम ने विद्यारावीन वाद को आगे नहीं चलाने तथा वाद को खारिज कराने हेतु वकील वादी ने विद्यारावीन वाद को नोटप्रेस किया है। अतः विद्यारावीन यह वाद वादी अ०धा० 53 RTA के विरुद्ध प्रतिवादीगण नोटप्रेस में चलने योग्य नहीं होने तथा खारिज योग्य होने से जरिये नोटप्रेस में खारिज किया जाता है। निर्णय पर सर्टिफिकेट सुनाया। पत्रावली बैसलत्र अलग फाइल नंबर से बन्द हो।

बीराराम
Not press
7/8/20

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.) 307001

Signature Not Verified

Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:39:55 IST
Reason: SelfAttested